



प्रेषक,

सिद्धा शरण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025 -26 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के दाये किनारे पर स्थित ग्राम मार्जिनल बन्ध के स्पर संख्या-18, 19, 20 एवं 21 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो० (बाढ़) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-202/काप्रअ/अनिबामं /यू-10/बी-1प्र०, दिनांक 06-02-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं सूचना के आधार पर निम्न तालिका-अ में अंकित परियोजना से हो रही बचत कुल रू० 24.80 लाख (चालू श्रेणी) में से तालिका -ब में अंकित निम्नलिखित विवरण की एक अदद चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परियोजना-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्य की परियोजनाएँ (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू० 1,07,000.00 (रूपये एक लाख सात हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-अ बचत से उपलब्ध धनराशि का विवरण

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्थाई संचालन समिति का संदर्भ	परियोजना की लागत	31.03.2025 तक नेट आवंटन/व्यय	आय - व्ययक अनुमान 2025-26	वर्ष 2025-26 में बजट के सापेक्ष आवंटन	वित्तीय वर्ष 2025-26 में परि० को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि	बचत/ अन्तर्विनियोजन के माध्यम से अन्य परियोजना पर प्रस्तावित धनराशि	बजट व्यवस्था के सापेक्ष बचत (6-7-8-9)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्य की परियोजना										
1	जनपद पीलीभीत में कटना नदी के दाये किनारे पर स्थित ग्राम खनंका की कटान से सुरक्षा हेतु डैम्पनर के निर्माण की परियोजना।	क्रमांक-243 59वीं बैठक, दि० 07.01.2025	123.65	41.22	74.00	49.20	0.00	0.00	24.80	परियोजना भौतिक एवं वित्तीय रूप से पूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में परियोजना पर अवशेष बजट की आवश्यकता नहीं है। अतः कालम-10 की धनराशि बचत स्वरूप परिलक्षित है।
	योग		123.65	41.22	74.00	49.20	0.00	0.00	24.80	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तालिका-ब बचत/अन्तर्विनियोजन के माध्यम से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि

संगठन/मण्डल/खण्ड		मु0 अभि0 (शारदा) बरेली/बाढ़ मण्डल, लखीमपुर-खीरी/बाढ़ खण्ड, पूरनपुर-पीलीभीत।									
(धनराशि लाख रू0 में)											
क्रम सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं0 तथा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a) / गठित अनुबन्ध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत (6(a)-7)	अब तक क्रमिक आवंटन(a)/ क्रमिक व्यय (b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष) (7-9) (b)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
										अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ											
1	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम मार्जिनल बन्ध के स्पर संख्या- 18 , 19, 20 एवं 21 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना। (Latitude:-28°44'11"N, Longitude:-80°09'21"E)	94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (राज्य पोषित)	56.00	40/2025/203/2025/27-2002-1-2025-2, दिनांक 10.03.2025 एवं 407/2025/1403/2025-27-2002-329-2025-2, दिनांक 24.06.2025	93.09/ 59.88	72.07	21.02	87.03/ 71.00*	1.07	94-4711-01-103-09-84-24	1.07

(रूपये एक लाख सात हजार मात्र)

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

- 3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-
 - (1) तालिका-ब में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (2) इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (3) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि जिस मद से अन्तर्विनियोजन कर रहे हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।
 - (4) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि जिस मद में अन्तर्विनियोजन प्रस्तावित किया जा रहा है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (रा0से0)-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 1,07,000.00 (रूपये एक लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4711011030984 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो० (बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
- (10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।